

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Monday 18th March, 2002/Falguna 27, 1923(Saka)

NO.190

THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment) Act, 2001(Delhi Act No.3 of 2002):

Hon'ble Members are informed that the THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment) Act, 2001(Delhi Act No.3 of 2002) has been notified and has become effective from 1st March, 2002

The salient features of the Amended Act are as follows:

- 1 **Salary** Raised from Rs.2000/-pm to **Rs.3000/-pm**
- 2 **Daily allowance** Raised from Rs. 225/- a day to **Rs. 400/- a day**
- 3 **Constituency allowance** Raised from Rs. 2000/- pm to **Rs. 6000/- pm**
- 4 **Secretarial Allowance** Raised from Rs. 5500/- pm to **Rs. 7000/- pm**
- 5 **Travelling Allowance** Members are now entitled to **air travel facilities as applicable to Group A officers of the highest grade of the Govt. of Delhi for official visits outside Delhi.**
- 6 **Telephone Facilities** Members are now entitled to **reimbursement of 2000 local calls per month on one telephone.**
- 7 **Travel** Instead of the coupon book system, the Members are now entitled to **actual reimbursement annually of Rs. 35,000/- on travel within India for self and members of the family.**

SK SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-॥

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार 18 मार्च, 2002/फाल्गुन 27, 1923 (शक)

संख्या : 190

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2002 का दिल्ली का दिल्ली अधिनियम संख्या-3)

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम संख्या-3) को अधिसूचित किया जा चुका है और यह 1 मार्च, 2002 से प्रभावी हो गया है। संशोधित अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. वेतन रु0:2000/- प्रति माह से रु0:3000/- प्रति माह बढ़ाया गया।
2. दैनिक भत्ता रु0:225/- प्रतिदिन से रु0:400/- प्रतिदिन बढ़ाया गया।
3. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रु0:2000/- प्रति माह से रु0:6000/- प्रतिमाह बढ़ाया गया।
4. सचिवालय भत्ता रु0:5500/- प्रति माह से रु0:7000/- प्रतिमाह बढ़ाया गया।
5. यात्रा भत्ता माननीय सदस्य अब दिल्ली से बाहर यात्रा हेतु दिल्ली सरकार के उच्चतम ग्रेड 'ए' के अधिकारियों पर लागू हवाई यात्रा सुविधा के पात्र हैं।
6. टेलीफोन सुविधाएँ माननीय सदस्य अब एक टेलीफोन पर प्रतिमाह रु0:2000/- स्थानीय कॉलों की प्रतिपूर्ति (पुनर्भुगतान) के पात्र हैं।
7. यात्रा कूपन पुस्तिका व्यवस्था की बजाय माननीय सदस्य अब स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए भारत में यात्रा पर रु0:35000/- के वास्तविक प्रतिपूर्ति (पुनर्भुगतान) के पात्र हैं।

एस.के. शर्मा
सचिव